20/6/2025-

पत्रा० आज पेश हुई। वादी। प्रार्थी वकील उप०। TDR नदबई द्वारा पत्रांक 513 दिनांक 27/5/25 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा कथन रहे कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम आकाश पुत्र धीरेन्द्र को दुरुस्त कर अजीतसिंह पुत्र धीरेन्द्र किये जाने बाबत निवेदन किया गया। हमने पत्रा० उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि तहसीलदार नदबई द्वारा भी आकाश पुत्र धीरेन्द्र सिंह का शुद्ध व सही नाम मुता० दस्तावेज अजीत सिंह पुत्र धीरेन्द्र कुछ करने की अभिशंषा की गई एवं अजीत सिंह व आकाश दोनों एक व्यक्ति होने अवगत कराया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी के खाता सं. 236, 802, 692, 235 में (वाके नाम बहामदी) आकाश पुत्र धीरेन्द्र के स्थान पर अजीत पुत्र धीरेन्द्र किया जाता है। उक्तानुसार [illegible] रिकार्ड में अंकन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर [illegible] कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Dhar Meena
Date: 2025.07.16 10:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner